

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0द्वै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी -सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०-60/2020

उगवान

मोहनलाल पुत्र स्व० श्री राघु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम जाति ब्राम्हण, निवासी
ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील
चौमूं जिला जयपुर।

-वादी-

वनाम

1. कन्हैयालाल
2. उमाशंकर
3. श्यामलाल } पुत्रान स्व० श्री राघु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम जाति ब्राम्हण,
निवासी ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया,
तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. श्रीमति निर्मला पत्नि स्व० श्री बंशीधर शर्मा पुत्र वधू स्व० श्री मुरलीधर
5. अभिषेक } पुत्रान स्व० श्री बंशीधर शर्मा पौत्रान स्व० श्री मुरलीधर
6. आशुतोष } पुत्रान स्व० श्री बंशीधर शर्मा पौत्रान स्व० श्री मुरलीधर
7. अनिषा } पुत्रीयाँ स्व० श्री बंशीधर शर्मा पौत्रान स्व० श्री मुरलीधर
8. मनिषा } पुत्रीयाँ स्व० श्री बंशीधर शर्मा पौत्रान स्व० श्री मुरलीधर
9. माली देवी पुत्री स्व० श्री मुरलीधर } हाल प्लॉट नं० 304, निर्मल विहान,
10. राजू देवी पुत्री स्व० श्री मुरलीधर } धाकडवाली गली, दादी का फाटक
11. हरे पुत्र स्व० श्री मुरलीधर } जयपुर
प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 व 9 ता 11 समस्त जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम
उदयपुरिया, पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर।
12. तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय

दिनांक :-07.07.2021

पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरीकेन उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक
23.03.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में
विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में
तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। वकील
वादी ने अपनी बहस में कथन किया है की वाद में तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रैजात
रिपोर्ट अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी
की जावें। वकील प्रतिवादी ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने



Wt

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-60/2020

उनवान

मोहनलाल पुत्र स्व० श्री राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम जाति ब्राम्हण, निवासी
ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील
चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. कन्हैयालाल
2. उमाशंकर
3. श्यामलाल } पुत्रान स्व० श्री राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम जाति ब्राम्हण,
निवासी ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. श्रीमति निर्मला पत्नि स्व० श्री बंशीधर शर्मा पुत्र वधू स्व० श्री मुरलीधर
5. अभिषेक
6. आशुतोष } पुत्रान स्व० श्री बंशीधर शर्मा पौत्रान स्व० श्री मुरलीधर
7. अनिषा
8. मनिषा } पुत्रीयों स्व० श्री बंशीधर शर्मा पौत्रान स्व० श्री मुरलीधर
9. माली देवी पुत्री स्व० श्री मुरलीधर } हाल प्लॉट नं० 304, निर्मल विहान,
10. राजू देवी पुत्री स्व० श्री मुरलीधर } धाकडवाली गली, दादी का फाटक
11. हरे पुत्र स्व० श्री मुरलीधर } जयपुर
प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 व 9 ता 11 समस्त जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम
उदयपुरिया, पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर।
12. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण
मिनजामिन मुद्दई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया
जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

1. उमाशंकर पुत्र राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण
सा०देह खातेदार को खसरा नम्बर 1138/2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल किता 1
का कुल रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

wt

मुकदमा नं०-60/2020

तन्त्रांश- मोहनलाल केसम कन्हैयालाल

निर्णय दिनांक- 07/07/2021

2. कन्हैयालाल पुत्र राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 1138/1 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. मोहनलाल पुत्र राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 1138/3 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. श्यामलाल पुत्र राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 1138/4 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. उमाशंकर हिस्सा 5170/46000, कन्हैयालाल हिस्सा 5170/46000, श्यामलाल हिस्सा 5170/46000 मोहनलाल हिस्सा 4830/46000 पिता राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार निर्मला पत्नि स्व0 बंशीधर, अभिषेक, आशुतोष पि0 स्व0 बंशीधर, अनिशा मनिषा पुत्रिया स्व0 बंशीधर बराबर हिस्सा 1283/9200, हरे पुत्र स्व0 मुरलीधर माली देवी, राजी देवी पुत्रीया स्व0 मुरलीधर बराबर हिस्सा 3849/9200 समस्त जाति ब्राम्हण सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.4600 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
6. मोहनलाल पुत्र राधु उर्फ राधाकिशन उर्फ राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.3000 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी मबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह

..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

वसुरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
wl

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	0
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

wl